न्यायालय–प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,जहानाबाद
जिलाः– जहानाबाद

वैवाहिक वाद सं0–61/2024

उपस्थित– सतीश कुमार देव
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
जहानाबाद।

01. रूपेश कुमार, उम्र 33 वर्ष, पिताः–गंगा पासवान
साकिन–खपुरा, थाना–काको जिला–जहानाबाद बिहार

..... आवेदक

बनाम

02. संयुक्ता कुमारी, उम्र 30 वर्ष, पिताः–फाकेन्द्र पासवान
ग्राम–बनारसी विगहा, थाना–इस्लामपुर, जिला–नालंदा, बिहार

.....विपक्षी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–मो0 शहजाद आमिर

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता–उपस्थित नहीं है।

दिनांक–**08.04.2026**

Satish Kumar Deo
08/04/26

–:आदेशः–

01. आवेदक रूपेश कुमार की ओर से यह वाद हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–9 की अंतर्गत विपक्षी संयुक्ता कुमारी के साथ दिनांक 04.05.2024 वैवाहिक पुनर्स्थापना हेतु दाखिल किया गया है।

02. संक्षेप में आवेदक का कथन है कि उसकी शादी संयुक्ता कुमारी के साथ दिनांक 27.11.2022 को हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। शादी के बाद संयुक्ता कुमारी अपने ससुराल में केवल एक रात रही उसके बाद ड्यूटी के नाम पर अपने नैहर चली गयी। विपक्षी पहले से ए0एन0एम0 की ट्रेनिंग किये हुई थी, इसलिए वह ए0एन0एम0 के पद पर जैतपुर इस्लामपुर में बहाल हो गई । जिसके उपरान्त उसका चाल चलन और व्यवहार में बदलाव होने लगा और आवेदक को तिरस्कृत करने लगी और कहने लगी की "तुम शिक्षक हो मै तुम्हारे साथ नही रहूँगी अगर तुम्हे मेरे साथ रहना है तो तुम नौकरी छोड़कर मेरे साथ इस्लामपुर में आकर रहो" और यह घटना 22.03.2024 की है। विपक्षी ने एक बक्सा जिसमें आवेदक के मॉ एवं आवेदक का गहना और कपड़ा था, जो लगभग आठ लाख रूपये का था उसे लेकर विपक्षी चली गयी ।

03. इस वाद में विपक्षी की उपस्थिति हेतु रजिस्ट्री सम्मन से नोटिश की कार्यवाही की गयी। विपक्षी या उनके अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके पश्चात् विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 06.02.2025 को वाद का एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश हुआ।

–:वाद बिन्दु:–

04. इस वाद में निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या वादी अपने वाद में लाये गए दावे को साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

05. आवेदक की ओर से अपने वाद के समर्थन में कुल तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें–

आवेदक साक्षी संख्या–1 रूपेश कुमार जो इस वाद के आवेदक है।

आवेदक साक्षी संख्या–2 गंगा पासवान है।

आवेदक साक्षी संख्या–3 फुलवा देवी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

06. एक्जिबिट–1 शादी के कार्ड की रंगीन छाया प्रति

07. एक्जिबिट–2 उभय पक्षों का रंगीन संयुक्त पासपोर्ट साईज फोटों

–:मंतव्य:–

08. आवेदक साक्षी संख्या 1 **रूपेश कुमार** जो इस वाद में स्वयं आवेदक है, ने कहा है कि इनकी शादी संयुक्ता कुमारी के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.11.2022 को हुई थी। दोनों पक्षों की सहमति से विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् विपक्षी मौजा–खपुरा, थाना–काको, जिला–जहानाबाद में केवल एक रात रही और उसके बाद ड्युटी के नाम पर विपक्षी अपने नैहर चली गयी। विपक्षी ए0एन0एम0 के पद पर जैतपुर इस्लामपुर में बहाल हुई उसके बाद विपक्षी का चाल चलन और व्यवहार में बदलाव होने लगा और आवेदक को तिरस्कृत करने लगी। दिनांक 22.03.2024 को विपक्षी ने आवेदक से कहा कि "तुम शिक्षक हो मै तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी अगर तुम्हे मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे साथ इस्लामपुर में आकर रहों" यह कहकर विपक्षी आवेदक के साथ रहने से इनकार कर दिया। आवेदक का यह भी कथन है कि विपक्षी बनारसीबीघा में रहती है और जैतपुर में ए0एन0एम0 के पद पर संवीदा पर कार्य करती है और जब आवेदक विपक्षी को लाने दिनांक 05.03.2024 को उसके नैहर गया तो, विपक्षी ने आवेदक के साथ रहने से मना कर दिया।

08/04/26

जहानाबाद

09. आवेदक साक्षी संख्या 02फुलवा देवी ने कहा है कि वह रूपेश कुमार के घर पर खाना बनाती हूँ। रूपेश कुमार और संयुक्ता कुमारी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.11.2022 को हुई थी। दोनों पक्षों की सहमति से विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् विपक्षी मौजा–खपुरा, थाना–काको, जिला–जहानाबाद में केवल एक रात रही और उसके बाद ड्युटी के नाम पर विपक्षी अपने नैहर चली गयी। विपक्षी ए0एन0एम0 के पद पर जैतपुर इस्लामपुर में बहाल हुई उसके बाद विपक्षी का चाल चलन और व्यवहार में बदलाव होने लगा और आवेदक को तिरस्कृत करने लगी। दिनांक 22.03.2024 को विपक्षी ने आवेदक से कहा कि "तुम शिक्षक हो मै तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी अगर तुम्हे मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे साथ इस्लामपुर में आकर रहों" यह कहकर विपक्षी आवेदक के साथ रहने से इनकार कर दिया। गवाह का कथन यह भी है कि दोनों पक्षों को कोई बाल बच्चा नहीं है और दोनों पक्ष 2024 से अलग अलग रह रहे है। आवेदक शिक्षक है और विपक्षी नर्स का काम करती है।

10. आवेदक साक्षी संख्या 03 गंगा पासवान ने कहा है कि वह रूपेश कुमार के पिता है। रूपेश कुमार और संयुक्ता कुमारी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.11.2022 को हुई थी। दोनों पक्षों की सहमति से विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् विपक्षी मौजा–खपुरा, थाना–काको, जिला–जहानाबाद में केवल एक रात रही और उसके बाद ड्युटी के नाम पर विपक्षी अपने नैहर चली गयी। विपक्षी ए0एन0एम0 के पद पर जैतपुर इस्लामपुर में बहाल हुई उसके बाद विपक्षी का चाल चलन और व्यवहार में बदलाव होने लगा और आवेदक को तिरस्कृत करने लगी। दिनांक 22.03.2024 को विपक्षी ने आवेदक से कहा कि "तुम शिक्षक हो मै तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी अगर तुम्हे मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे साथ इस्लामपुर में आकर रहों" यह कहकर विपक्षी आवेदक के साथ रहने से इनकार कर दिया। गवाह का कथन यह भी है कि शादी के बाद दोनों पक्ष एक साल तक साथ साथ रहा था लेकिन वैवाहिक जीवन से कोई बाल बच्चा नहीं है। विपक्षी को लाने आवेदक 2024 में गया था, लेकिन विपक्षी ने आने से मना कर दिया।

11. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के परिशिलन से प्रतीत होता है कि विपक्षी का व्यवहार आवेदक के साथ ठीक नहीं रहा है तथा वह जान–बूझकर आवेदक के साथ रहने एवं दाम्पत्य सूत्र कायम करने हेतु तैयार नहीं है तथा साक्ष्यों के कथन से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी के पास आवेदक के साथ नहीं रहने का कोई उचित कारण एवं आधार नहीं है जबकि आवेदक अपने तरफ से भरपुर प्रयास किया कि वह विपक्षी के साथ रहे। साक्षियों के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी पत्नी द्वारा वैवाहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में जान–बूझकर उपेक्षा की जा रही है।

12. इस वाद में विपक्षी को नोटिश भेजने के बावजूद वह वाद के प्रतिरोध के लिए उपस्थित नहीं हुई। इस वाद में विपक्षी के आपत्ति के अभाव में इस न्यायालय के समक्ष वादी में उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै यह पाता हूँ कि विपक्षी न्यायालय के समक्ष वादी के पक्ष को सही मानकर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै यह पाता हूँ कि विपक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इससे यह साबित होता कि विपक्षी पत्नी अपने आवेदक के साहचर्य के बिना युक्तियुक्त कारण के त्याग कर दी है। अतः मै यह पाता हूँ कि आवेदक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की अज्ञप्ति पाने का अधिकारी है।

13. यह वाद उल्लेखित आधार पर निष्पादित किया जाता है और कार्यालय को तदनुसार एक डिकी–शीट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

14. इस आदेश की एक प्रति सामान्य डाक से विपक्षी के पते पर कार्यालय द्वारा भेजी जाए।

15. कार्यालय आवश्यक कार्यवाही के बाद इस मामले को रिकार्ड अभिलेख कक्ष में संधारित कराये।

16. परिणामतः वाद एक पक्षीय रूप से आवेदक के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा विपक्षी को यह आदेश दिया जाता है कि वह आदेश पारित होने से 30 दिनों के अंदर आकर आवेदक के साथ पत्नी के रूप में रहे।

(लेखापित और संशोधित)
Satish Kumar Deo
08.04.26

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
जहानाबाद।
दिनांक– 08.04.2026

Satish Kumar Deo
08.04.26

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
जहानाबाद।
दिनांक– 08.04.2026

10. आवेदक साक्षी संख्या 03 गंगा पासवान ने कहा है कि वह रूपेश कुमार के पिता है। रूपेश कुमार और संयुक्ता कुमारी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.11.2022 को हुई थी। दोनों पक्षों की सहमति से विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् विपक्षी मौजा–खपुरा, थाना–काको, जिला–जहानाबाद में केवल एक रात रही और उसके बाद ड्युटी के नाम पर विपक्षी अपने नैहर चली गयी। विपक्षी ए0एन0एम0 के पद पर जैतपुर इस्लामपुर में बहाल हुई उसके बाद विपक्षी का चाल चलन और व्यवहार में बदलाव होने लगा और आवेदक को तिरस्कृत करने लगी। दिनांक 22.03.2024 को विपक्षी ने आवेदक से कहा कि "तुम शिक्षक हो मै तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी अगर तुम्हे मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे साथ इस्लामपुर में आकर रहों" यह कहकर विपक्षी आवेदक के साथ रहने से इनकार कर दिया। गवाह का कथन यह भी है कि शादी के बाद दोनों पक्ष एक साल तक साथ साथ रहा था लेकिन वैवाहिक जीवन से कोई बाल बच्चा नहीं है। विपक्षी को लाने आवेदक 2024 में गया था, लेकिन विपक्षी ने आने से मना कर दिया।

11. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के परिशिलन से प्रतीत होता है कि विपक्षी का व्यवहार आवेदक के साथ ठीक नहीं रहा है तथा वह जान–बूझकर आवेदक के साथ रहने एवं दाम्पत्य सूत्र कायम करने हेतु तैयार नहीं है तथा साक्ष्यों के कथन से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी के पास आवेदक के साथ नहीं रहने का कोई उचित कारण एवं आधार नहीं है जबकि आवेदक अपने तरफ से भरपुर प्रयास किया कि वह विपक्षी के साथ रहे। साक्षियों के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी पत्नी द्वारा वैवाहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में जान–बूझकर उपेक्षा की जा रही है।

12. इस वाद में विपक्षी को नोटिश भेजने के बावजूद वह वाद के प्रतिरोध के लिए उपस्थित नहीं हुई। इस वाद में विपक्षी के आपत्ति के अभाव में इस न्यायालय के समक्ष वादी में उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै यह पाता हूँ कि विपक्षी न्यायालय के समक्ष वादी के पक्ष को सही मानकर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै यह पाता हूँ कि विपक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इससे यह साबित होता कि विपक्षी पत्नी अपने आवेदक के साहचर्य के बिना युक्तियुक्त कारण के त्याग कर दी है। अतः मै यह पाता हूँ कि आवेदक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की अज्ञप्ति पाने का अधिकारी है।

13. यह वाद उल्लेखित आधार पर निष्पादित किया जाता है और कार्यालय को तदनुसार एक डिकी–शीट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

14. इस आदेश की एक प्रति सामान्य डाक से विपक्षी के पते पर कार्यालय द्वारा भेजी जाए।

15. कार्यालय आवश्यक कार्यवाही के बाद इस मामले को रिकार्ड अभिलेख कक्ष में संधारित कराये।

16. परिणामतः वाद एक पक्षीय रूप से आवेदक के पक्ष में निर्णित किया जाता है तथा विपक्षी को यह आदेश दिया जाता है कि वह आदेश पारित होने से 30 दिनों के अंदर आकर आवेदक के साथ पत्नी के रूप में रहे।

(लेखापित और संशोधित)
Satish Kumar Deo
08.04.26

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
जहानाबाद।
दिनांक– 08.04.2026

Satish Kumar Deo
08.04.26

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
जहानाबाद।
दिनांक– 08.04.2026

Date of Judgment	08.04.2026
Date of Reserving Judgment	11.03.2026
Uploading Date	13.4.26
Uploaded by	Kundan Kr.